प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

मध्यस्थता अपील संख्या 24_2009

आवेदक: के.वी. मोहन राव

बनाम

अनावेदक: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

आदेश का उद्घोषणा हेतु दिनांक 20/01/2012 को सूचीबद्ध करें

सही

ऍन के अग्रवाल

न्यायाधीश

20/01/2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

मध्यस्थता अपील संख्या 24_ 2009

आवेदक: के.वी. मोहन राव

बनाम

अनावेदक: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 11 के अंतर्गत आवेदन

(एकल पीठ: माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

आवेदक की ओर से – श्री वाई.सी.शर्मा, अधिवक्ता, सहित श्री विवेक राठौर, अधिवक्ता |

अनावेदक की ओर से – श्री संजय. के.अग्रवाल, अधिवक्ता, सहित, श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता |

आदेश

(दिनांक 20.01.2012 को घोषित)

1. आवेदक ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 11(6) के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. उत्तरदाता के निविदा संख्या एलपीजी/इंजीनियरिंग/पीटी—134/05 के अनुसरण में प्रस्तावित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, रायपुर में भूमि विकास, डामरीकृत सड़कों का निर्माण, कंक्रीट फुटपाथ, कल्वर्ट तथा नालियों के निर्माण के कार्य हेतु आवेदक द्वारा अपनी कोटेशन/ संविदा दर प्रस्तुत किया

गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार उत्तरदाता द्वारा आवेदक के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया।

3. पक्षकारों के बीच हुए करार में मध्यस्थता खंड अंतर्निहित है। खंड 9 निम्नानुसार है:

मध्यस्थता एवं वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र

9.0.0.0. मध्यस्थता

9.0.1.0. इस करार की खंड 6.7.1.0, 6.7.2.0 तथा 9.0.2.0 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठेकेदार द्वारा इस करार के उपबंधों के अनुसार उसके अंतिम बिल में सम्मिलित की गई अधिसूचित दावे से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया जाएगा...

इस करार की खंड 66.3.0 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि ठेकेदार ने इस करार की खंड 9.1.1.0 में उल्लिखित वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को चुनने का विकल्प नहीं अपनाया है, तो मालिक द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, इस करार की खंड 9.0.1.1 के उपबंधों के अनुसार चयनित एकल मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि ठेकेदार का कोई अधिअधिसूचित मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया गया है, तो मालिक अपने दावे को ठेकेदार के विरुद्ध प्रतिदावा के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, ठेकेदार को इस करार की खंड 6.6.3.0 के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम बिल में सम्मिलित किसी भी दावे को छोड़कर, किसी अन्य दावे को मुजरा बचाव या प्रतिदावा के रूप में उठाने का अधिकार नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.0.1.1. इस करार की खंड 9.0.1.0 में उल्लिखित एकल मध्यस्थ का चयन ठेकेदार द्वारा मालिक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामांकित तीन (3) व्यक्तियों के पैनल में से किया जाएगा, और यदि ठेकेदार मालिक द्वारा ऐसे नामांकित व्यक्तियों के पैनल के नाम प्रदान किए जाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर मध्यस्थ का चयन करने में असफल रहता है, तो एकल मध्यस्थ का चयन मालिक द्वारा उक्त पैनल में से किया जाएगा।

9.0.2.0. निम्नलिखित किसी भी विषय से संबंधित या उससे जुड़े या उससे संबंधित कोई भी विवाद या मतभेद इस मध्यस्थता करार के दायरे, क्षेत्र और सीमा से स्पष्ट रूप से बाहर रखे जाते हैं, इस आशय से कि उक्त निम्नलिखित विषयों से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद और/या मध्यस्थ या मध्यस्थीय अधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई भी

विवाद मध्यस्थता के लिए किसी संदर्भ या प्रस्तुति का विषय नहीं बन सकता है, और मध्यस्थ या मध्यस्थीय अधिकरण को उसे स्वीकार करने या उस पर कोई निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, तथा ऐसा विषय मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के साथ आगे बढ़ने या आगे बढ़ते रहने से पूर्व महाप्रबंधक द्वारा निर्णीत किया जाएगा। उक्त बाहर रखे गए विषय निम्नलिखित हैं:

(i) मध्यस्थता करार के दायरे या अस्तित्व या अन्यथा से संबंधित या उससे जुड़ा:

(ii) क्या ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाने वाला दावा एक अधिसूचित दावा है या नहीं;

(iii) क्या अधिसूचित दावा इस करार की खंड 6.6.3.0 के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार के अंतिम बिल में सम्मिलित किया गया है या नहीं।

(iv) क्या ठेकेदार ने ठेकेदार के अंतिम बिल में सम्मिलित किसी भी अधिसूचित दावे के संबंध में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को चुनने का विकल्प अपनाया है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.0.3.0. भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 तथा उसके किसी भी प्रतिस्थापन और/या संशोधन तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंध इस करार के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगे:

क. मध्यस्थ प्रत्येक दावे तथा प्रत्येक प्रतिदावे के संबंध में पृथक् अधिनिर्णय पारित करेगा; तथा

ख. मध्यस्थ को अनुबंध दस्तावेजों के अनुसार ठेकेदार पर अंतिम और/या बाध्यकारी माने गए किसी भी निर्णय, राय या निर्धारण (चाहे वह किसी भी रूप में व्यक्त किया गया हो) के पुनर्विलोकन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9.0.4.0. मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। तथापि, मध्यस्थ को मालिक तथा ठेकेदार दोनों की सहमति प्राप्त होने पर किसी अन्य स्थान को मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने का अधिकार होगा।

3. पक्षकारों के बीच विवाद तथा मतभेद उत्पन्न हो गए। आवेदक ने दिनांक 03.03.2008 (संलग्नक **क/4**) तथा दिनांक 21.05.2008 (संलग्नक **क/6**)

को लिखित पत्रों द्वारा मुख्य एल.पी.जी. प्रबंधक (इंजीनियरिंग), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध किया कि पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करके किया जाए। उत्तरदाता ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। तत्पश्चात् आवेदक ने दिनांक 23.05.2008 को उत्तरदाता को 30 दिनों की सूचना दी, जिसमें मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई। उत्तरदाता ने पुनः कोई कार्यवाही नहीं की। अतः आवेदक ने दिनांक 18.08.2008 को स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु यह वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया। यह स्वीकार्य है कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक उत्तरदाता ने मध्यस्थता खंड के अनुरूप मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की थी।

4. उत्तरदाता ने इस मामले में दिनांक 02.09.2008 को उपस्थिति दर्ज की तथा उसके पश्चात् ही दिनांक 08.09.2008 के पत्र द्वारा मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थों का एक पैनल प्रस्तावित किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.सी. शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता ने मांग किए जाने के 30 दिनों के भीतर तथा आवेदक द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व मध्यस्थता खंड के अनुसार कार्यवाही नहीं की, अतः उत्तरदाता का मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है। पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद तथा मतभेदों को स्वतंत्र मध्यस्थ के समक्ष निर्देशित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, उच्चतम न्यायलय द्वारा **नॉर्दर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड**, (2008) 10 एस.सी.सी. 240 तथा **भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम धनुरधर चंपतिराय**, (2010) 1 एस.सी.सी. 673 में प्रतिपादित विधि के अनुपात पर अवलंभ लेते हुए उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया: उत्तरदाता ने दिनांक 08.09.2008 के अपने पत्र द्वारा पहले ही तीन मध्यस्थों का पैनल प्रस्तावित कर दिया है, ताकि आवेदक उनमें से किसी एक को एकल मध्यस्थ के रूप में चुन सके। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की खंड 11 की योजना का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि करार के पदों का यथासंभव निकटता से पालन करने तथा/या उन्हें प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। न्यायालय से अपेक्षा की जा सकती है कि वह वह कार्य करे जो अभी तक नहीं किया गया है। न्यायालय को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपलब्ध उपचारों का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। यह सत्य है कि इस न्यायालय के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, किंतु साथ ही करार तथा अन्य विचार हेतु आवश्यक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने से पूर्व, अधिनियम की खंड 11 का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो निम्नानुसार है:

"11. मध्यस्थों की नियुक्ति– (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है, मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो।

(2) उपखंड (6) के अधीन रहते हुए, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(3) उपखंड (2) में उल्लिखित किसी करार के अभाव में, तीन मध्यस्थों वाली मध्यस्थता में प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, तथा दोनों नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।"

(4) यदि उपखंड (3) में वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है तथा—

क. कोई पक्ष दूसरे पक्ष से ऐसा करने के अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल रहता है; अथवा

ख. दोनों नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमति व्यक्त करने में असफल रहते हैं, तो किसी पक्ष के अनुरोध पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) उपखंड (2) में उल्लिखित किसी करार के अभाव में, एकल मध्यस्थ वाली मध्यस्थता में, यदि पक्षकार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से ऐसा करने के अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमति व्यक्त करने में असफल रहते हैं, तो किसी पक्ष के अनुरोध पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(6) जहां पक्षकारों द्वारा सहमति से निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत—

क. कोई पक्ष उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित कार्य करने में असफल रहता है; अथवा

ख. पक्षकारों अथवा दोनों नियुक्त मध्यस्थों द्वारा उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं; अथवा

ग. कोई व्यक्ति, जिसमें संस्था भी सम्मिलित है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को संपादित करने में असफल रहता है, तो कोई पक्ष मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक उपाय

करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर करार में नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य कोई साधन उपबंधित न किया गया हो।

(7) उपखंड (4) या उपखंड (5) या उपखंड (6) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(8) मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय निम्नलिखित बातों का उचित ध्यान रखेगा—

क. पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ के लिए अपेक्षित कोई योग्यताएँ; तथा

ख. स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने वाली अन्य विचारणीय बातें।

(9) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एकल मध्यस्थ अथवा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, यदि पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं, तो पक्षकारों की राष्ट्रीयताओं से भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) मुख्य न्यायाधीश उपखंड (4) या उपखंड (5) या उपखंड (6) के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए विषयों से निपटने के लिए ऐसी योजना बना सकते हैं, जैसी उन्हें उचित प्रतीत हो।

(11) जहां उपखंड (4) या उपखंड (5) या उपखंड (6) के अंतर्गत विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामित व्यक्तियों के समक्ष एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, तो संबंधित उपखंड के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुरोध प्राप्त करने वाले मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके नामित व्यक्ति ही उस अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

(12) **क.** जहां उपखंड (4), (5), (6), (7), (8) तथा (10) में उल्लिखित विषय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में उत्पन्न होते हैं, तो उन उपखंडओं में "मुख्य न्यायाधीश" शब्द का अर्थ "भारत के मुख्य न्यायाधीश" के रूप में किया जायगा ।

ख. जहां उपखंड (4), (5), (6), (7), (8) तथा (10) में उल्लिखित विषय किसी अन्य मध्यस्थता में उत्पन्न होते हैं, तो उन उपखंड ओं में "मुख्य न्यायाधीश" शब्द का अर्थ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया जायगा, जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत खंड 2 की उपखंड (1) के खंड (घ) में उल्लिखित प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है, तथा जहां उच्च न्यायालय

स्वयं उक्त खंड में उल्लिखित न्यायालय है, तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में व्याख्या की जाएगी।

10. खंड 11(4) तथा खंड 11(5) का सरल पाठ करने पर स्पष्ट होता है कि यदि एक पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करता है तथा दूसरा पक्ष ऐसी मांग के तीस दिनों के भीतर कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं करता, तो एक पक्ष द्वारा नियुक्ति का अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। यदि उत्तरदाता मांग के तीस दिनों के पश्चात् भी मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, किंतु आवेदक ने खंड 11 के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उत्तरदाता की ओर से की गई ऐसी कार्यवाही पर्याप्त होगी। दूसरे शब्दों में, खंड 11(4) तथा खंड 11(5) के अंतर्गत उत्पन्न मामलों में, यदि उत्तरदाता मांग के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं करता, तो मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होता, अपितु वह जारी रहता है, किंतु ऐसी नियुक्ति तभी की जा सकती है जब तक दूसरा पक्ष उच्च न्यायालय में खंड 11 के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देता। तभी उत्तरदाता का अधिकार समाप्त होता है। किंतु तीस दिनों की अवधि के संबंध में, उपखंड (6) में कोई उल्लेख नहीं है। परिसीमा अवधि केवल उपखंड (4) तथा उपखंड (5) में ही प्रदान की गई है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उच्चतम न्यायलय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **पंज लॉयड लिमिटेड बनाम पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड**, (2006) 2 एस.एस.सी.638 में यह निर्णय दिया है: तीस दिनों की सूचना अवधि समाप्त हो जाने तथा पक्ष द्वारा अधिनियम की खंड 11(6) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात्, दूसरा पक्ष मध्यस्थता करार के आधार पर मध्यस्थ नियुक्त करने का अपना अधिकार खो देता है।

12. उच्चतम न्यायलय ने उपर्युक्त मामले में उपर्युक्त दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय **डाटर स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड**, (2000) 8 एस.एस.सी 151 का अवलंब लिया । उक्त निर्णय के कंडिका 19 में उच्चतम न्यायलय ने निम्नलिखित अवलोकन किया है:

"19. जहां तक खंड 11(6) के अंतर्गत आने वाले मामलों का संबंध है—जैसे कि हमारे समक्ष प्रस्तुत मामला—अधिनियम के अंतर्गत कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि खंड 11(4) तथा खंड 11(5) के अंतर्गत तीस दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। अतः हमारे विचारानुसार, खंड 11(6) के संबंध में, यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष से मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग करता है तथा दूसरा पक्ष मांग के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं करता, तो तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् नियुक्ति का अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। यदि दूसरा पक्ष मांग के तीस दिनों के पश्चात् भी

नियुक्ति करता है, किंतु पहला पक्ष खंड 11 के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, तो ऐसी नियुक्ति पर्याप्त होगी। दूसरे शब्दों में, खंड 11(6) के अंतर्गत उद्भूत मामलों में, यदि दूसरा पक्ष मांग के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं करता, तो नियुक्ति करने का अधिकार समाप्त नहीं होता अपितु जारी रहता है, किंतु नियुक्ति तभी की जा सकती है जब तक पूर्व पक्ष खंड 11 के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देता। तभी दूसरे पक्ष का अधिकार समाप्त होता है।"

13. उच्चतम न्यायलय ने **ए पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड**, (2007) 5 एस.एस.सी 304 में अपने निर्णय के कंडिका 10 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:

> "10. ..... किंतु उपखंड (6) में, जहां पक्षकारों द्वारा पहले से ही नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तथा ऐसी स्थिति में यदि कोई पक्ष उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित कार्य करने में असफल रहता है अथवा पक्षकारों अथवा दोनों नियुक्त मध्यस्थों द्वारा उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं अथवा कोई व्यक्ति, जिसमें संस्था भी सम्मिलित है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सौंपे गए किसी कार्य को संपादित करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में कोई पक्ष मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर करार में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अन्य कोई साधन उपबंधित न किया गया हो। अतः तीस दिनों की अवधि के संबंध में, यह उपखंड (6) में उल्लिखित नहीं है। तीस दिनों की सीमा अवधि केवल खंड 11 की उपखंड (4) तथा उपखंड (5) में ही प्रदान की गई है। इस प्रकार, विधि के अनुसार, तीस दिनों की परीसीमा अवधि खंड 11 की उपखंड (6) के अंतर्गत आहूत नहीं की जा सकती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्चतम न्यायलय ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड**, (2007) 7 एस.एस.सी 684 में कुछ भिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किया था।

14. उच्चतम न्यायलय की दो समनियोजित पीठों के बीच मतभेद को देखते हुए, मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्देशित किया गया था **नॉर्दर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड**, (2008) 10 एस.एस.सी 240 में, जहां

उच्चतम न्यायलय ने अपने निर्णय के कंडिका 12 तथा 14 में निम्नलिखित अवलोकन किया है—

> **"12. खंड 11 की योजना का सरल पाठ करने पर स्पष्ट होता है कि करार के शर्तो का यथासंभव निकटता से पालन करने तथा/या उन्हें प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय से अपेक्षा की जा सकती है कि वह वह कार्य करे जो अभी तक नहीं किया गया है। न्यायालय को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपलब्ध उपचारों का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। यह सत्य है, जैसा कि श्री देसाई द्वारा तर्क किया गया है, कि मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। किंतु साथ ही करार तथा अन्य विचार हेतु आवशयक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"**

14. इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय ने करार द्वारा अपेक्षित योग्यताओं पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता अथवा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने वाली अन्य विचारणीय बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया प्रतीत होता है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि मध्यस्थता करार में नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, किंतु नियुक्ति करते समय खंड 11 की उपखंड (8) के दोहरे आवश्यकताओं—(क) करार द्वारा अपेक्षित योग्यताएँ तथा (ख) अन्य विचारणीय बातें—को ध्यान में रखा जाना, विचार किया जाना तथा उनका अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो नियुक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। परिस्थितियों में, हम प्रत्येक मामले में की गई नियुक्ति को रद्द करते हैं तथा मामलों को उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हैं कि उपर्युक्त मापदंडो को ध्यान में रखते हुए नई नियुक्ति की जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला अधिनियम की खंड 11(6) के अंतर्गत आता है। तीस दिनों की अवधि के संबंध में, यह उपखंड (6) में उल्लिखित नहीं है। तीस दिनों की परिसीमा अवधि केवल खंड 11 की उपखंड (4) तथा उपखंड (5) में ही प्रदान की गई है। इस प्रकार, विधि के अनुसार, तीस दिनों की परिसीमा अवधि खंड 11 की उपखंड (6) के अंतर्गत लागू नहीं की जा सकती।

16. अब मैं आवेदक की प्रार्थना का परीक्षण **नॉर्दर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायलय के निर्णय के प्रकाश में करूंगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायलय ने यह निर्णय दिया है कि अधिनियम की खंड 11 की योजना के अनुसार करार के

शर्तो का यथासंभव निकटता से पालन किया जाना तथा/या उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए, यद्यपि न्यायालय के लिए नामित मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है।

आवेदक द्वारा मध्यस्थता करार से बाहर मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग केवल इस आधार पर है कि उत्तरदाता ने मांग के तीस दिनों के पश्चात् तथा आवेदक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व भी मध्यस्थता करार के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की। अतः, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को अधिनियम की खंड 11(6) तथा खंड 11(8) के प्रकाश में तथा उपर्युक्त उल्लिखित मामलों में उच्चतम न्यायलय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुपात के प्रकाश में विचार करने पर, मेरे मतानुसार, आवेदक मध्यस्थता करार से परे स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु कोई आधार सिद्ध करने में असफल रहा है।

17. उपर्युक्त के दृष्टिगत, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँः

क. आवेदक आज से 45 दिनों की अवधि के भीतर एक व्यक्ति का नाम चुनकर उसे एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा करने में चूक होती है, तो उत्तरदाता अपने द्वारा प्रस्तावित तीन व्यक्तियों के पैनल में से एक व्यक्ति को एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा, जो पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा करेगा। किसी भी स्थिति में, उत्तरदाता पक्षकारों के दावों तथा प्रतिदावों को ऐसे एकल मध्यस्थ के समक्ष निर्देशित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ख. इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ मामले का निपटारा विधि के अनुसार करेगा।

18. तदनुसार, उपर्युक्त दर्शाए गए सीमा अनुसार यह आवेदन निराकृत किया जाता है।

सही./–

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: ईशा तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur